



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Website :- <http://pwd.uk.gov.in>E-Mail :- eicpwwd@nic.inपत्रांक:- 260 / 10 अ/दे/पा/स
2019

दिनांक: 02/05/2019

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स के पुननिर्धारण हेतु दिनांक 29-04-2019 को आयोजित SOR समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी किये जा रहे हैं। SOR में ली गयी समस्त दरें Excluding of GST है तथा अन्य समस्त कर, उपकर, लेवी फी, टोल, रायल्टी आदि दरों में पूर्व की भाँति सम्मिलित है।

यह दरें दिनांक 01-05-2019 से लागू मानी जायेंगी।

SORPWD की website <http://pwwsor.pwwd.in> पर उपलब्ध है।


I.T.
For uploading
11/5/19
8108


(आर०सी० पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, शासन।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
6. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, रा०मा० एवं सेतु/ए०डी०बी०/वर्ल्ड बैंक/पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।

11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
14. प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0/याँ0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर - प्रथम/द्वितीय एवं समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
17. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
19. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।


प्रमुख अभियन्ता



लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड